राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1358/2025 / 1359/2025 **मांगी देवी बनाम ओमप्रकाश** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/2026	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 1358/2025 व 1359/2025 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 12/01/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
12/01/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27/11/2024 पारित करते हुए तहसीलदार चौमू को विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 6 के खसरा नम्बर 100/140 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 05 का कुल रकबा 0.75 हैक्टयर, खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 116/141 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर, खाता संख्या 8 के आराजी खसरा नम्बर 115 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117 के रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117/133 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 के रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121/135 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94/139 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 13 का कुल रकबा 6.65 हैक्टेयर, खाता संख्या 14 के आराजी खसरा नम्बर 121 रकबा 2.97 हैक्टयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चकदलेलपुरा, पटवार हल्का नांगलकोजू, भू.अ.नि. क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कब्जे काश्त के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व 13 सीपीसी एवं अन्तिम बहस समायत करते हुए मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

निर्णय व डिक्री दिनांक 25/07/2025 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 09 नियम 07 व 13 सीपीसी पोषणीय नही होने के आधार पर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25/07/2025 के विरुद्ध अपील संख्या 1358/2025 उनवानी मांगी देवी बनाम ओमप्रकाश एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 व 13 सीपीसी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25/07/2025 के विरुद्ध अपील 1359/2025 उनवानी मांगी देवी बनाम ओमप्रकाश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की ईकजाई मौखिक बहस अपीलों पर सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई रूप से बहस की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित परिक्षण/विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | अपीलार्थी द्वारा तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चुनौती दी गयी है, जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से किये गये सहखातेदारान के मध्य विभाजन को निरस्त किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनों अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25/07/2025 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखा जाकर दोनों अपीले क्रमश: 1358/2025 व 1359/2025 ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 12/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर